न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राकेश कुमार बनाम अशोक कुमार

किस्म मुकदमा दावा (53,88,188) मु.नं. 184 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
27/9/25	वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 28.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पत्रावली अध्ययन पर वकील वादी के कथन का अंकन कर अपील करने का निर्देश किया वकील वादी को पुनः पत्रावली का अवलोकन किया अब वकील वादी के निर्देश पर मुताबिक "कथन के" अंकन के पत्रावली इसी स्तर पर अपील किये जाने के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली फैसल हो कर तकील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	Not Pers. Rakesh

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 15:56:51 IST
Reason: SelfAttested